

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21()2022-23/विकास/प्रमुवसं/10831


दिनांक 01/03/2023

कार्यालय आदेश

लेखा मद 2406-01-101-20-21 वानिकी संचार तथा भवनों का आधुनिकीकरण, नवीकरण एवं उन्नयन के अन्तर्गत भवन संधारण हेतु वर्ष 2022-23 हेतु पूर्व में आवंटित बजट के अतिरिक्त निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है।

| Name of CCF | Name of Div. | पूर्व में आवंटित बजट | अतिरिक्त आवंटित बजट | कुल आवंटन |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| मुख्य वन संरक्षक, जयपुर | उप वन संरक्षक, अलवर | 10.50 | 1.00 | 11.50 |
| | उप वन संरक्षक, झुन्झुनू | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| मुख्य वन संरक्षक, अजमेर | उप वन संरक्षक, अजमेर | 3.50 | 1.00 | 4.50 |
| | योग:- | 16.00 | 3.00 | 19.00 |

अन्य शर्तें पूर्व की भाँति यथावत रहेगी। आवंटित राशि का वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।



(एम.के.गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21()2022-23/विकास/प्रमुवसं/ 10832-40

दिनांक 01/03/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर।
- उप वन संरक्षक, अलवर/झुन्झुनू/अजमेर।
- वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर
- प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलित शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर